प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

सेवा में,

1—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2—समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0
3—समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/737/2017—5/03/2017 SBM(G)/स्वच्छाग्रही लखनऊ दिनांकः 28 अप्रैल, 2017

विषयः स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद में स्वच्छाग्रहियों के चयन, प्रशिक्षण एवं ग्राम पंचायतों में तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 30 जनपदों को 31 दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त करने का बृहद लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के शेष अन्य जनपदों को भी 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त किया जाना है।

आप अवगत है कि उक्त बृहद लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वच्छाग्रहियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध आन लाइन विवरण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश जनपदों में स्वच्छाग्रहियों की संख्या काफी कम है, जबकि प्रत्येक जनपद में निर्धारित संख्या में दक्ष स्वच्छाग्रहियों को कार्यक्रम से जोड़ते हेतु उनके लिए अच्छी लाजिस्टिक्स व्यवस्था, प्रोत्साहन धनराशि एवं उनकी क्षमता विकास हेतु प्रभावी प्रशिक्षण आदि की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है। निदेशालय स्तर पर स्वच्छाग्राहियों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है जो संलग्न किया जा रहा है। यह भी अति आवश्यक है कि पूर्व में कार्यरत स्वच्छाग्राहियों की सक्रियता एवं क्षमता वृद्धि हेतु उन्मुखीकरण निरन्तरता बनाए रखी जाय।

स्वच्छाग्रहियों की प्रभावशाली भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नप्रकार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है:—

- **चयन प्रक्रियाः—**

(क) शासनादेश संख्या 1911/33—3—2015—110/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2016 में की गयी व्यवस्था के अनुसार स्वच्छाग्रही का मुख्य कार्य अन्तर—वैयक्तिक सम्प्रेषण , घर घर जाकर सम्पर्क करना और अभिप्रेरित करना, आई0ई0सी0 में सहायता, रिकार्डो का रखरखाव करना तथा प्रगति की रिर्पोट रखना आदि है। इस प्रकार ग्राम स्तर पर खुले में शौच समाप्त करने हेतु समुदाय में व्यवहार परिवर्तन के दृष्टिकोण से स्वच्छाग्रही की आवश्यकता होगी। यह स्वच्छाग्रही कोई भी सरकारी/ अर्ध—सरकारी या गैर—सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें चयन करने हेतु जिला स्वच्छता समिति को पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी है।

(ख) स्वच्छाग्रही को सी0एल0टी0एस0 ट्रिगरिंग हेतु दक्ष बनाने के उपरान्त ट्रिगरिंग टीमों का गठन एवं तैनाती सुनिशचित किया जाना चाहिए। ट्रिगरिंग के पश्चात स्वच्छाग्रहियों को ग्राम पंचायतों का स्वामित्व भी दिया जाना चाहिए। इन स्वच्छाग्रहियों द्वारा ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समितियों यथा बच्चे, महिला एवं पुरूष की गठित तीनों टोलियों को नियमित सहयोग दिया जायेगा।

(ग) स्वच्छाग्रहियों की यदि जनपद में कमी है, तो उनका चयन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप जिला स्वच्छता समिति द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए, जिसमें यह विशेष ध्यान

रखा जाए कि चयनित स्वच्छाग्रहियों में महिलाओं की पर्याप्त संख्या में भागीदारी हो। सरकारी/अर्ध–सरकारी कर्मी यथा ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, आशा, आगंनवाड़ी कार्यकत्री, पंचायत सचिव आदि को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर तथा गैर–सरकारी इच्छुक व्यक्ति यथा नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नागरिक सुरक्षा आदि के युवाओं/महिलाओं, जो स्वेच्छा से स्वच्छता जैसे समाजिक कार्यो में रूचि लेकर कार्य करने को तत्पर हों, जो आम समुदाय के समक्ष बोलने, उन्हें समझाने व उनसे संवाद एवं सम्पर्क स्थापित करने की दक्षता रखते हों, उनका ही चयन किया जाए। इसके विभिन्न माध्यम जैसेः– लिखित परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार आदि तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) गैर–सरकारी स्वच्छाग्रहियों के चयन से पूर्व उन्हें उनके दायित्वों के साथ–साथ अनुमन्य प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था से भी स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए।

- **<u>प्रशिक्षणः–</u>**

(क) मिशन द्वारा सहयोगी संस्थाओं यथा यूनीसेफ, वर्ल्डबैंक, वाटर–एड, डब्लू.एस.एस.सी.सी. द्वारा लगभग सभी जनपदों में सी.एल.टी.एस. विधा मे प्रशिक्षण कम से कम एक बार दिया गया है और निरन्तर दिया जा रहा है।

(ख) मिशन कार्यालय के पत्रांक–5/134/03/2017 दिनांक 01.02.2017 द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु 05 दिवसीय ट्रिगरिंग माड्यूल के सकारात्मक परिणाम सामने आये है अतः सी0 एल0 टी0 एस0 की इस विधा को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छाग्रहियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जाय।

(ग) वर्ष 2017 में खुले में शौच मुक्त होने वाले 30 जनपदों में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करवाने हेतु सहयोगी संस्थाओं यथा यूनीसेफ, वर्ल्डबैंक, वाटर–एड, डब्लू.एस.एस.सी.सी. को नामित किया जा चुका है। इन सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से नये चयनित स्वच्छाग्रहियों का प्रशिक्षण समय से करा लिया जाये। उक्त के अतिरिक्त शेष जनपद जिन्हे 2 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त किया जाना है,उनके द्वारा भी प्रशिक्षण के प्रस्ताव मिशन कार्यालय को उपलब्ध करा दिये जाय।

(घ) इसके अतिरिक्त किसी दक्ष स्वच्छाग्रही के साथ सम्बद्ध करके भी नये चयनित स्वच्छाग्रही को On The Job प्रशिक्षित किया जा सकता है। जनपद स्तर पर सबसे दक्ष स्वच्छाग्रहियों की जनपद रिसोर्स ग्रुप बनाते हुए उनका उपयोग अन्य स्वच्छाग्रहियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावृद्धि मे किया जा सकता है। यदि उसके उपरान्त भी किसी जनपद में सी.एल.टी.एस. प्रशिक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उससे मिशन कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(ङ) स्वच्छाग्रही के प्रशिक्षण हेतु एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात विभिन्न टूल्स यथा– एस0बी0एम0जी0 के वेव पोर्टल स्वच्छ संग्रह पर उपलब्ध आई0ई0सी0 सामग्री यथा वीडियों क्लिप, सफलता की कहानी, ट्रिगरिंग स्क्रिप्ट तथा क्रियान्वयन में किये गये अभिनव प्रयासो का प्रयोग समुदाय को अभिप्रेरित करने हेतु किया जा सकता है।

- **<u>प्रोत्साहन राशि व्यवस्था एवं नियमित भुगतानः–</u>**

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत ट्रिगरिंग एवं फालोअप की गतिविधियां ग्रामों को खुले में शौच मुक्त कराने वाली टीम को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में

शासनादेश संख्या 1911/33–3–2015–110/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है। प्रोत्साहन राशि के संबंध में दो चरणों में धनराशि देने की व्यवस्था की गयी है। मांग सृजन एवं निर्माण के उपरान्त रूपया प्रति 75 तथा लाभार्थी द्वारा निरन्तर 6 माह तक शौचालय प्रयोग करने की स्थिति में द्वितीय चरण में रू0 75 आई0ई0सी0 मद से किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश में की गयी व्यवस्था के अनुसार स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकता है।

(ख) उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त सी0एल0टी0एस0 के अन्तर्गत ट्रिगरिंग, फालोअप में लगी टीमों को अधिकतम रूपया 10000 प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ओ0डी0एफ0 सत्यापन के उपरान्त जनपद स्तर पर उपलब्ध आई0ई0सी0 मद की धनराशि की सीमा के अन्तर्गत जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदनोपरान्त दिया जा सकता है। इस तरह जिला स्वच्छता समिति विवेकानुसार एक अच्छी प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था स्वच्छाग्रहियों के लिये लागू कर सकती है। साथ ही साथ निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नियमित रूप से स्वच्छाग्रहियों को भुगतान करने की व्यवस्था भी अति आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही 25 मई, 2017 तक आवश्यकतानुसार पूर्ण कराकर दक्ष स्वच्छाग्रहियों का चयन, प्रशिक्षण एवं तैनाती सुनिश्चित करने का कष्ट करें और उनका विवरण संलग्न प्रारूप पर एम.एस.एक्सल शीट पर मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ भारत सरकार की वेबसाइट पर भी स्वच्छाग्रहियों का विवरण अपलोड करा दिया जाय। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु कोई भी जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी अथवा मिशन कार्यालय मे कार्यरत स्टेट कन्सल्टेन्ट श्री ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी मो0–9450669358 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या– 5 /737 /तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

Swachchh Bharat Mission (Gramin)

District wise estimated number of Swachchhagrahi

Sr. No.	District Name	No of GramPanchayat	Total required no of Swachchhagrahi @ 1 Person for 3 GP	No of Swachchhagrahi details available on MDSW web site	Balance requirement (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	AGRA	683	228	100	128
2	ALIGARH	902	301	67	234
3	ALLAHABAD	1636	545	53	492
4	AMBEDKAR NAGAR	912	304	3	301
5	AMETHI	682	227	12	215
6	AURAIYA	477	159	35	124
7	AZAMGARH	1871	624	90	534
8	BAGPAT	245	82	7	75
9	BAHRAICH	1054	351	0	351
10	BALLIA	946	315	36	279
11	BALRAMPUR	800	267	11	256
12	BANDA	466	155	30	125
13	BARABANKI	1168	389	165	224
14	BAREILLY	1193	398	331	67
15	BASTI	1243	414	20	394
16	BIJNOR	1128	376	557	-181
17	BUDAUN	1038	346	80	266
18	BULANDSHAHR	950	317	367	-50
19	CHANDAULI	734	245	250	-5
20	CHITRAKOOT	335	112	15	97
21	DEORIA	1188	396	13	383
22	ETAH	575	192	53	139
23	ETAWAH	471	157	21	136
24	FAIZABAD	827	276	51	225
25	FARRUKHABAD	603	201	72	129
26	FATEHPUR	840	280	0	280
27	FIROZABAD	563	188	14	174
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	99	33	10	23
29	GHAZIABAD	158	53	320	-267
30	GHAZIPUR	1233	411	195	216
31	GONDA	1054	351	0	351
32	GORAKHPUR	1354	451	284	167
33	HAMIRPUR	339	113	38	75
34	HAPUR	273	91	108	-17
35	HARDOI	1306	435	163	272
36	JALAUN	575	192	60	132
37	JAUNPUR	1773	591	350	241
38	JHANSI	496	165	49	116
39	JYOTIBA PHULE NAGAR (AMROHA)	600	200	353	-153
40	KANNAUJ	503	168	41	127
41	KANPUR DEHAT	640	213	200	13
42	KANPUR NAGAR	589	196	87	109
43	KANSHIRAM NAGAR (KASGANJ)	423	141	176	-35
44	KAUSHAMBI	497	166	60	106
45	KUSHINAGAR	1112	371	260	111
46	LAKHIMPUR KHERI	1166	389	270	119
47	LALITPUR	415	138	8	130

District wise estimated number of Swachchhagrahi

Sr. No.	District Name	No of GramPanchayat	Total required no of Swachchhagrahi @ 1 Person for 3 GP	No of Swachchhagrahi details available on MDSW web site	Balance requirement (4-5)
1	2	3	4	5	6
48	LUCKNOW	568	189	258	-69
49	MAHAMAYA NAGAR(HATHRAS)	474	158	68	90
50	MAHARAJGANJ	929	310	17	293
51	MAHOBA	273	91	24	67
52	MAINPURI	560	187	226	-39
53	MATHURA	545	182	22	160
54	MAU	678	226	12	214
55	MEERUT	482	161	59	102
56	MIRZAPUR	806	269	1603	-1334
57	MORADABAD	588	196	459	-263
58	MUZAFFARNAGAR	498	166	96	70
59	PILIBHIT	719	240	168	72
60	PRATAPGARH	1233	411	133	278
61	RAE BARELI	989	330	90	240
62	RAMPUR	682	227	338	-111
63	SAHARANPUR	860	287	19	268
64	SAMBHAL	556	185	1	184
65	SANT KABIR NAGAR	794	265	87	178
66	SANT RAVIDAS NAGAR(BHADOHI)	561	187	146	41
67	SHAHJAHANPUR	988	329	410	-81
68	SHAMLI	228	76	232	-156
69	SHRAVASTI	400	133	384	-251
70	SIDDHARTHNAGAR	1199	400	735	-335
71	SITAPUR	1600	533	279	254
72	SONBHADRA	636	212	669	-457
73	SULTANPUR	986	329	107	222
74	UNNAO	1044	348	151	197
75	VARANASI	752	251	233	18
Total		58763	19588	12511	7077

प्रारूप

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत स्वच्छाग्रहियों का विवरण

दिनांक.............

क्र0सं0	जनपद का नाम	शासकीय/अर्धशासकीय कर्मी						गैर शासकीय व्यक्ति					
		नाम	पद नाम /विभाग	सी.एल.टी.एस. प्रशिक्षण प्राप्त है या नहीं	स्वामित्व दिये गये ग्रामों की संख्या	प्रोत्साहन धनराशि दी गयी है या नहीं	मोबाइल नम्बर	नाम	पता	सी.एल.टी.एस. प्रशिक्षण प्राप्त है या नहीं	स्वामित्व दिये गये ग्रामों की संख्या	प्रोत्साहन धनराशि दी गयी है या नहीं	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जिला पंचायत राज अधिकारी

जनपद–